

राजस्थान सरकार
स्वायत्त शासन विभाग राज. जयपुर

(जी-3, राजमहल पैलेस रेजिडेन्शियल एरिया, सिविल लाईन फाटक, 22 गौदाम जयपुर-302013)
(टेलीफैक्स-0141-2222403, ई-मेल-dlbrajasthan@gmail.com वेब साईट www.lsgraj.org)

क्रमांक:-प.1ग()का/एसएमई-1/डीएलबी/2024/1320

दिनांक: 19/02/2024


-:आदेश:-

राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 की धारा 336 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये निम्नांकित कर्मचारियों के स्थानान्तरण/पदस्थापन तुरन्त प्रभाव से निम्नानुसार किया जाता है:-

क्र.सं.	नाम कार्मिक	पदनाम	कहाँ से	कहाँ को
1	जितेन्द्र जाखड़	सहायक लेखाधिकारी- द्वितीय	नीमकाथाना	श्रीमाधोपुर
2	महेन्द्र गायरी	सहायक लेखाधिकारी- द्वितीय	एपीओ निदेशालय	निम्बाहेडा
3	रामलाल शर्मा	सहायक लेखाधिकारी- द्वितीय	हनुमानगढ	नगरपालिका हनुमानगढ के साथ रावतसर का दो दिवस का अतिरिक्त कार्यभार
4	राजेन्द्र रेवाड़	सहायक लेखाधिकारी- द्वितीय	कुचामन सिटी	कुचामन सिटी क साथ नावां का दो दिवस का अतिरिक्त कार्यभार
5	शफीक अहमद	सहायक लेखाधिकारी- द्वितीय	नगर निगम जयपुर हैरिटेज	वीकानेर
6	करणी सिंह	सहायक लेखाधिकारी- द्वितीय	नगरपरिषद, हनुमानगढ	जयपुर (हैरिटेज)
7	शिवराज सिंह राठौड़	सहायक लेखाधिकारी	रींगस	नीमकाथाना
8	दिनेश शर्मा	सहायक लेखाधिकारी	सवाईमाधोपुर	श्रीगंगानगर
9	सुनील कुमार	सहायक लेखाधिकारी- द्वितीय	अनुपगढ	सूरतगढ
10	राकेश गुर्जर	कनिष्ठ लेखाकार	ब्यावर	जैतारण
11	राजेन्द्र सिंह पंवार	कनिष्ठ लेखाकार	बीदासर	लाडनू
12	अनुराग	कनिष्ठ लेखाकार	नोहर	रावतसर

उपर्युक्त कार्मिकों को आगामी वेतन नवपदस्थापित निकाय से देय होगा। उपर्युक्त कार्मिकों को दिनांक 19.02.2024 को मध्यान पश्चात् नवपदस्थापित निकाय के लिए कार्यमुक्त किया जाता है।
नोट:-

01. स्थानान्तरित कर्मचारी के पदनाम में कोई परिवर्तन हो तो तुरन्त विभाग को अवगत करावे अन्यथा आपकी व्यक्तिशः जिम्मेदारी होगी।
02. स्थानान्तरित कर्मचारी का सेवाभिलेख प्राप्त होने के उपरान्त ही इन्हे वेतन भत्ते का भुगतान किया जावे।
03. यदि कर्मचारी दैनिक वेतनभोगी/सविदा पर नियुक्त हो तो उसका स्थानान्तरण नहीं माना जावे एवं कार्यमुक्त नहीं किया जाकर विभाग को अवगत करावे।
04. यदि कोई कर्मचारी सेवानिवृत्त/किसी अन्य कारणों से सेवा से पृथक हो गया हो तो उसका स्थानान्तरण नहीं माना जावे।
05. रिक्त पद होने पर ही सम्यन्धित कर्मचारी को ज्वाइन करावे।
06. कार्मिक को अपने मूल पद पर ही कार्यग्रहण करावे एवं सफाई कर्मचारी से मूल पद का ही कार्य करवाया जावे।
07. माननीय न्यायालय के स्थगन आदेश होने पर उक्त स्थानान्तरण लागू नहीं होंगे।


(सुरेश कुमार ओला)
निदेशक एवं संयुक्त सचिव

क्रमांक:-प.1ग()का/एसएमई-1/डीएलबी/2024/1321-47 दिनांक: 19/02/2024
प्रतिलिपि:-सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु:-

1. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री महोदय, स्वायत्त शासन विभाग, राज. जयपुर।
2. निजी सचिव, शासन सचिव महोदय, स्वायत्त शासन विभाग जयपुर।
3. वरिष्ठ निजी सचिव, निदेशक एवं सयुक्त सचिव महोदय, स्वा.शा. विभाग राज. जयपुर।
4. उप निदेशक (क्षेत्रिय) स्थानीय निकाय विभाग.....।
5. महापौर/सभापति/अध्यक्ष/आयुक्त/अधिसाषी अधिकारी, नगर निगम/परिषद/पालिका.....।
6. एनालिस्ट कम प्रोग्रामर, आई. टी. अनुभाग, निदेशालय को लेख है कि उक्त आदेश को विभागीय साईट पर अपलोड की कार्यवाही करें।
7. संबंधित कर्मचारी श्री/श्रीमती।
8. सुरक्षित पत्रावली।

(नरेन्द्र कुमार वर्मा)
उपनिदेशक (प्रशासन)